Regarding non-extension of cashless medical facilities to pensioners of electricity distribution companies in Delhi.-laid

श्री योगेन्द्र चांदोलिया **(**उत्तर**-**पश्चिम दिल्ली**) :** मैं दिल्ली विद्युत बोर्ड के पेंशनभोगियों को चिकित्सा सुविधाओं से वंचित किए जाने से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ । विद्युत मंत्रालय, दिल्ली सरकार ने सभी DISCOM कम्पनियों को यह निर्देश दिए कि सभी पेंशनभोगियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा तुरंत दी जाए परंतु सरकार के निर्देशों के बावजूद बिजली कम्पनियाँ जिनके मैं नाम ले रहा हूँ बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड और टाटा पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड जैसी निजी बिजली वितरण कंपनियाँ इन पेंशनभोगियों को कैशलेस या प्रतिपूर्ति चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान नहीं कर रही हैं जबकि डीटीएल और आईपीजीसीएल जैसी सरकारी संस्थाओं ने मंत्रालय के निर्देशों का पालन किया है, लेकिन इन निजी कम्पनियों ने ऐसा नहीं किया है । यह इन कंपनियों द्वारा वरिष्ठ नागरिक पेंशनभोगियों के साथ अन्याय है और दुखद है उनको इस उम्र मे इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है । मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह इस मामले में जिन कम्पनियों ने सरकार के निर्देशों का पालन नहीं किया हैं उन पर पेनल्टी के साथ उचित कारवाही हो, इसके साथ सरकार यह सुनिश्चित करे कि इस मामले में प्राथमिकता के आधार पर न्याय हो, ताकि इन पेंशनभोगियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधाएँ मिल सकें जिनके वे हकदार हैं ।